भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3848
जिसका उत्तर मंगलवार, 16 जुलाई, 2019 को दिया जाना है

फेम इंडिया चरण-II

3848. कुमारी शोभा कारान्दलाजे:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हाल में विद्युत मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए स्कीम, फास्टर एडोप्शन एंड मैनुफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक वेहिकल्स इन इंडिया (फेम इंडिया) के दूसरे चरण में कार्यान्वयन हेतु प्रस्ताव को मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना के उद्देश्य क्या हैं तथा कितनी निधि की आवश्यकता है;

(ग) क्या इस योजना में पर्यावरण संबंधी प्रदूषण और ईंधन सुरक्षा के मामले को सुलझाने में सहायता मिलेगी;

(घ) क्या यह योजना 10 लाख विद्युत दोपहिया, 5 लाख तिपहिया, 55000 चार पहियों और 7000 बसों को सहायता प्रदान करेगी;

(ङ) क्या सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन स्थापित करना आरंभ किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या नीति आयोग ने फेम-II योजना का तकनीकी विश्लेषण जारी किया है और यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
(श्री अरविंद गणपत सावंत)

(क) से (घ): जी, हां। सरकार ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण (फेम इंडिया) योजना के चरण-II के कार्यान्वयन हेतु प्रस्ताव को अनुमोदित किया है। तद्नुसार, भारी उद्योग विभाग ने दिनांक 08 मार्च, 2019 को फेम इंडिया योजना के चरण- II को अधिसूचित किया जो ₹10,000 करोड़ की कुल बजटीय सहायता के साथ दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से आरंभ होकर तीन वर्षों की अवधि के लिए है। यह चरण मुख्यतः सार्वजनिक और साझा परिवहन के विद्युतीकरण की सहायता करने पर केन्द्रित होगा, और सब्सिडी के माध्यम से 7000 ई-बसों, 5 लाख ई-तिपहियों, 55000 ई-चौपहिया यात्री कारों और 10 लाख ई-दुपहिया वाहनों की

सहायता करने का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त, इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोगकर्ताओं के बीच अनेक उत्सुकताओं का समाधान करने के लिए चुनिन्दा शहरों में और मुख्य राजमार्गों पर चार्जिंग अवसंरचना के सृजन की सहायता की जाएगी। लोगों के लिए किफायती और पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन का विकल्प उपलब्ध कराने पर अधिक बल देते हुए यह योजना मुख्यतः सार्वजनिक परिवहन के लिए उपयोग होने वाले वाहनों अथवा ई-तिपहिया, ई-चौपहिया और ई-बस सेगमेंट में वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु पंजीकृत वाहनों के लिए लागू होगी। तथापि, एक व्यापक सेगमेंट के रूप में योजना के तहत निजी स्वामित्व वाले पंजीकृत दुपहियों को भी शामिल किया जाएगा। फेम इंडिया योजना के चरण-II की विस्तृत अधिसूचना भारी उद्योग विभाग की वेबसाइट www.dhi.nic.in पर उपलब्ध है।

(ङ): फेम इंडिया योजना के चरण-II में सरकारी एजेंसियों, उद्योगों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पीएसयू) सहित विभिन्न स्टेकहोल्डरों की सक्रिय भागीदारी और समायोजन से ईवी उपयोगकर्ताओं के बीच विश्वास पैदा करने के लिए पर्याप्त सार्वजनिक चार्जिंग अवसंरचना स्थापित करने हेतु सहायता की परिकल्पना है। इस चरण के तहत चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना के लिए दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से तीन वर्षों की अवधि के लिए ₹1000 करोड़ का बजट आबंटन किया गया है।

(च): जी, हां। नीति आयोग ने रॉकी माउंटेन इंस्टिट्यूट (आरएमआई) के साथ "इंडियाज इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ट्रांसफोर्मेशनः आज तक की प्रगति और भावी उपयुक्तताएं" नामक एक तकनीकी रिपोर्ट जारी की है, यह प्रत्यक्ष तेल व कार्बन बचत को परिमाणित करती है जिसे फेम-II के तहत प्रोत्साहन प्राप्त वाहन डिलीवर करेंगे। इस रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार है:-

- फेम-II के प्रभाव, फेम-II के तहत पात्र वाहनों पर ही नहीं बल्कि अन्य वाहनों पर भी होंगे।
- वर्ष 2030 तक वृहत अंगीकरण स्तरों से संबद्ध संभाव्य बचत के साथ-साथ अपनी समय-अवधि में फेम-II द्वारा शामिल दुपहिया, तिपहिया और चौपहिया वाहनों से संबद्ध प्रयाप्त ऊर्जा और कार्बन डाई ऑक्साइड की बचत है।
- फेम-II के तहत शामिल की गई इलेक्ट्रिक बसें अपनी समय-अवधि में 3.8 बिलियन वाहन किमी. (ई-वीकेटी) पुरा करेंगी।
- वर्ष 2030 में संभाव्य उपयुक्तता प्राप्त करने के लिए बैटरियां मुख्य केन्द्र बिंदु होनी चाहिए क्योंकि वे ईवी की मुख्य लागत नियंत्रक होंगी।

विस्तृत रिपोर्ट http://niti.gov.in/writereaddata/files/document_publication/NITI-RMI-Report.pdf पर देखी जा सकती है।

*****